उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या–55/2024

दोती महतो वगै० बनाम् मेहीलाल मांझी एवं राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
03/12/24	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी 1. दोती महतो, पिता–स्व० लालो महतो, 2. दुमन महतो, पिता–स्व० लालो महतो, 3. खुशी महतो, पिता–स्व० लालो महतो, 4. शिवु महतो, पिता–स्व० शोभी महतो, 5. करीम महतो, पिता–स्व० बालो महतो, 6. द्वारिका महतो, पिता–स्व० बालो महतो, 7. भोला महतो, पिता–स्व० ननहु महतो, 8. करमा महतो, पिता–स्व० ननहु महतो, 9. धर्मा महतो, पिता–स्व० ननहु महतो सभी निवास ग्राम–छोटकी डुण्डी, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या–11/2018–19 मेहीलाल मांझी बनाम दोती महतो वगै० में दिनांक–05.04.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S– 215 C.N.T. Act-1908 के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–छोटकी डुण्डी, थाना नं०–179 थाना–माण्डू के खाता संख्या–24, प्लॉट संख्या–62, 63, 64, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 507 कुल रकवा–8.69 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–11/2018–19 में दिनांक–05.04.2024 के पारित आदेश के विरुद्ध यह वाद दायर किया गया है। प्रश्नगत भूमि खाता संख्या–24, प्लॉट संख्या–62, 63, 64, 495, 496, 497, 499, 500, 501, 502, 507 का रकवा क्रमशः 0.05 एकड़, 0.53 एकड़, 0.55 एकड़, 0.63 एकड़, 1.15 एकड़, 1.47 एकड़, 0.04 एकड़, 0.41 एकड़, 0.06 एकड़, 1.43 एकड़, 1.59 एकड़ और 0.78 एकड़ भूमि है। जिसका कुल रकवा–8.69 एकड़ भूमि ग्राम छोटकी डुण्डी, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ की भूमि पिछले सर्वे के दौरान ठाकुर मांझी के नाम पर दर्ज की गई थी। ठाकुर मांझी की मृत्यु उनके इकलौते बेटे होपना मांझी को छोड़कर हुई, जिसने अपने पिता के पद पर रहते हुए खाता संख्या–24 की पूरी जमीन विरासत में ली और उस पर कब्जा कर लिया। खाता संख्या–24 का किराया बकाया था, इसलिए प्रबंधक वार्ड और भार संपदा, रामगढ़ ने प्रमाण–पत्र अधिकारी, हजारीबाग की अदालत में प्रमाण–पत्र मामला संख्या–575 वर्ष 1933–34 के	

Scanned with OKEN Scanner

तहत होपना मांझी के खिलाफ प्रमाण–पत्र मामला दायर किया है। मुकदमा डिक्री किया गया और खाता संख्या–24 की भूमि को डिक्री की संतुष्टि के लिए नीलामी बिक्री पर रखा गया था और प्रमाण–पत्र धारक ने दिनांक–03.04.1934 को प्रमाण–पत्र बिक्री में भूमि खरीदी है और दिनांक–03.06.1934 को क्रेता के नाम पर बिक्री प्रमाण–पत्र जारी किया गया था। प्रमाण–पत्र केस संख्या–575/1933–34 में डिक्री धारक को दिए गए डिक्री और बिक्री प्रमाण–पत्र के अनुसार प्रमाण–पत्र अधिकारी द्वारा दिनांक–21.08.1934 को डिक्री धारक को कब्जा देने के लिए एक आदेश पारित किया गया था और तदनुसार केस संख्या–113/1934–35 द्वारा दिनांक–03.09.1934 को कब्जा दिया गया। प्रबंधक वार्ड एवं भार सम्पदा रामगढ़ ने खाता संख्या–24 की भूमि कुल रकबा–8.69 एकड़ भूमि पर्याप्त सलामी के भुगतान पर साईनाथ महतो के साथ बंदोबस्त कर दिया है तथा वार्षिक लगान निर्धारित करते हुए उनके नाम से हुकुमनामा स्वीकृत किया गया है। साईनाथ महतो ने खाता संख्या–24, प्लॉट संख्या–62, 63, 64, 495, 496, 497, 499, 500, 501, 502, 507 का रकबा क्रमशः 0.05 एकड़, 0.53 एकड़, 0.55 एकड़, 0.63 एकड़, 1.15 एकड़, 1.47 एकड़, 0.04 एकड़, 0.41 एकड़, 0.06 एकड़, 1.43 एकड़, 1.59 एकड़ और 0.78 एकड़ कुल रकबा–8.69 एकड़ भूमि को पंजीकृत बिक्री विलेख संख्या–268 दिनांक–07.07.1938 के माध्यम से थनु महतो को बेच दिया गया। थनु महतो ने उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया और पूर्व जमींदार को लगान दिया। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात रामगढ़ अंचल के रजिस्टर–II में उनके नाम से जमाबंदी खोली गई और लगान के भुगतान जारी की गई। अपीलकर्ता थनु महतो के कानूनी उत्तराधिकारी और वंशज हैं। अपीलकर्ता अपने पूर्वजों की क्रमिक मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि पर काबिज हुए तथा उस पर शांतिपूर्ण तरीके से काबिज रहे। आगे यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ताओं के पिता ने उक्त भूमि पर अपने आवासीय मकान बना लिए हैं तथा अपने परिवार के सदस्यों के साथ उसी पर रह रहे हैं। उन्होंने बेहतर खेती के लिए उस पर कुआं भी खोदा है। अंचल अधिकारी, माण्डू ने भी अपनी जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि विचाराधीन भूमि की मांग थनु महतो के नाम पर है और अपीलकर्ता पिछले 33–34 वर्षों से विचाराधीन भूमि पर काबिज हैं। अंचल अधिकारी, माण्डू ने यह भी कहा है कि अपीलकर्ताओं ने विचाराधीन भूमि पर अपना घर, बाड़ी और कुआं बना लिया है। अंचल अधिकारी, माण्डू को अवगत कराया कि खतियानी रैयत के नाम पर कोई मांग विद्यमान नहीं है। होपना मांझी की निःसंतान मृत्यु हो गई। विपक्षी मेहीलाल मांझी न तो खतियानी रैयत ठाकुर मांझी के कानूनी उत्तराधिकारी हैं और न ही उनका खतियानी रैयत से किसी भी तरह का संबंध है। निम्न न्यायालय ने अपीलकर्ता के मामले को समझे बिना आदेश पारित किया है और विपक्षी आवेदन को गलत तरीके से स्वीकार किया है। निम्न न्यायालय को अंचल अधिकारी, माण्डू की जाँच प्रतिवेदन पर विचार करना चाहिए था, जिसने कहा है कि विपक्षी वर्ष 33–34 से विचाराधीन भूमि पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। निम्न न्यायालय को यह विचार करना चाहिए था कि विपक्षी का मामला पूरी तरह से समय सीमा से बाहर है। न्यायालय को अपीलकर्ता के दस्तावेज पर विचार करना चाहिए था जो उप समाहर्त्ता (राजस्व अधिकारी)

Scanned with OKEN Scanner

हजारीबाग द्वारा पारित निर्णय पर आधारित है। जब C.N.T Act की धारा–46 का उल्लंघन नहीं होता है तो धारा–46-(4)A का प्रावधान लागू नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन स्वीकार करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–11/2018–19 में दिनांक–05.04.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील का वर्तमान ज्ञापन कानून और तथ्यों की दृष्टि से पोषणीय नहीं है, इसलिए इसे पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ द्वारा विपक्षी द्वारा दायर भू–वापसी आवेदन को सही रूप से स्वीकार किया है। सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ ने संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया और साथ ही अंचल अधिकारी, माण्डू से जाँच प्रतिवेदन मांग की गई, जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि भू–वापसी का मामला शुरू किया जा सकता है। वास्तविक तथ्य यह है कि ग्राम–छोटकी डुण्डी के प्लॉट संख्या–62, 63, 64, 495, 496, 497, 499, 500, 501, 502 और 507 का रकवा–0.05 एकड़, 0.53 एकड, 0.55 एकड, 0.63 एकड, 1.15 एकड़, 1.17 एकड, 0.04 एकड़, 0.41 एकड, 0.06 एकड, 1.43 एकड, 1.59 एकड़ और 0.78 एकड़ क्रमशः कुल रकवा–8.69 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में ठाकुर मांझी के नाम पर दर्ज है। खतियानी रैयत अपने जीवन काल तक खतियानी भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जे में था और उसकी मृत्यु के बाद उसके वंशज उस पर खेती कर रहे थे और उसकी मृत्यु के बाद उसके वंशज ग्राम–छोटकी डुण्डी के खाता संख्या–24 की खतियानी भूमि के साथ उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जे में आ गए। विपक्षी को अपीलकर्ताओं द्वारा झूठे और मनगढंत कागजों के बल पर भू–वापसी आवेदन दायर करने की तिथि से 7 से 8 वर्ष पूर्व खतियानी भूमि से बेदखल कर दिया गया है और विपक्षी द्वारा शांतिपूर्ण प्रश्न पूछे जाने पर अपीलकर्ता जिज्ञासु हो गए और अनुसूचित जनजाति के खतियानी रैयत को भूमि वापस करने का इरादा नहीं रखते हैं। अपीलकर्ताओं ने विपक्षी को उसकी खतियानी जमीन से जबरन बेदखल कर दिया है, जिस पर अपीलकर्ताओं का कोई अधिकार और हित नहीं है। विपक्षी अशिक्षा के कारण वर्ष 1960–61 के बाद अंचल कार्यालय, माण्डू से सरकारी लगान रसीद प्राप्त नहीं कर सका है तथा गरीबी और मासूमियत के कारण विपक्षी अंचल अधिकारी, माण्डू से संपर्क नहीं कर सका। अपीलकर्ताओं ने चालाकी से ऑनलाइन लगान रसीद प्राप्त कर ली, वास्तव में खतियान की तिथि से ही लगान रसीद खतियानी रैयत के पक्ष में जारी की गई थी, लेकिन जाली तरीके से अपीलकर्ता ने ऑनलाइन रजिस्टर–II में अपना नाम दर्ज करवा लिया, जबकि लगान रसीद वर्ष 1960–61 तक खतियान रैयत ठाकुर मांझी के नाम से जारी थी। विपक्षी ने अंचल अधिकारी, माण्डू से संपर्क किया और अपीलकर्ताओं द्वारा जाली तरीके से खेली गई सारी जानकारी और तथ्य उजागर किए, लेकिन उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ ने दिनांक–05.04.2024 के आदेश के तहत विपक्षी के पक्ष में भूमि को बहाल किया है। अपीलकर्ताओं द्वारा बनाया गया मामला झूठा और मनगढ़ंत है, जिसका निचली अदालत पहले ही खंडन कर चुकी है। होपा

मांझी खतियानी रैयत का पुत्र नही है, बल्कि खतियानी रैयत का दामाद था। बकाया लगान का भुगतान न किए जाने के कारण नीलामी बिक्री के संबंध में दिया गया कथन गलत है। वास्तव में खतियानी रैयत द्वारा वर्ष 1960–61 तक लगान का भुगतान किया गया है। इसलिए बकाया लगान के कारण भूमि की नीलामी करने का प्रश्न ही नही उठता है। C.N.T Act 1908 की धारा–208 B के अनुसार निलामी प्रक्रिया में अधिभोगी रैयत व अनुसूचित जन जाति व अनुसूचित जाति के सदस्य ही नाम ले सकते है। जब तक कि कोई आदिवासी या अनुसूचित जाति का सदस्य ऐसी भूमि के लिए बोली नहीं लगाता है निलामी की प्रक्रिया संपादित नहीं की जा सकती है। अपीलकर्ता ने नीलामी बिक्री का एक मनगढंत मामला बनाया है। विपक्षी या उसके पूर्वजों को भू–वापसी वाद दाखिल करने की तिथि से 7 से 8 वर्ष पूर्व कभी भी खतियानी भूमि से बेदखल नहीं किया गया था, इसलिए अपीलकर्ताओं द्वारा बनाई गई पंजीकृत बिक्री विलेख के निष्पादन की कहानी झूठी है। होपना मांझी की मृत्यु निःसंतान नहीं हुई है, जो विपक्षी द्वारा दी गई वंशावली तालिका से स्पष्ट होगा। निचली अदालत ने विपक्षी की भू–वापसी आवेदन को सही तरीके से स्वीकार किया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज करने तथा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अपने आदेश फलक में अंकित किया गया है कि अंचल अधिकारी, माण्डू के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा–छोटकी डुण्डी के खाता संख्या–24 प्लॉट संख्या–62, 63, 495, 496, 497, 499, 500, 501, 502 और 507 रकवा क्रमशः 0.05 डी०, 0.53 डी०, 0.55 डी०, 0.63 डी०, 1.15 एकड़, 1.47 एकड़, 0.04 डी०, 0.41 डी०, 0.06 डी०, 1.43 एकड़, 1.59 एकड़, 0.78 डी० क्रमशः कुल रकवा–8.69 एकड़ भूमि ठाकुर मांझी के नाम से रैयती दर्ज है। विपक्षी खतियानी रैयत के परनाना है। चालु पंजी–II के पृ०सं०–54/2 पर थनु महतो के नाम से जमाबंदी दर्ज है। विपक्षी को उक्त जमीन निबंधित केवाला संख्या–181090 दिनांक–01.09.1955 से खरीदगी से हासिल है। भूमि की निलामी सर्टिफिकेट केश वाद नं०–113/1934–35 एवं 575/1933–34 वर्ष है। नियमानुसार भू–वापसी की कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

उक्त के आलोक में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा आदिवासी खाते की भूमि का हस्तांतरण C.N.T Act 1908 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नहीं पाते हुए भू–वापसी का आदेश पारित किया गया है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अपीलार्थी के द्वारा तत्कालिन उपायुक्त के माध्यम से उक्त भूमि निलाम पत्र के आधार पर प्राप्त होने का दावा करते है। जबकि विपक्षी को खतियानी रैयत वंशज होने के आधार पर प्रश्नगत भूमि प्राप्त होने का दावा करते है। विपक्षी अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। इसलिए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

Scanned with OKEN Scanner

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुनने एवं संलग्न कागजातों एवं लिखित अभिकथन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–छोटकी डुण्डी के खाता संख्या–24 प्लॉट संख्या–62, 63, 495, 496, 497, 499, 500, 501, 502 और 507 रकवा क्रमशः 0.05 डी०, 0.53 डी०, 0.55 डी०, 0.63 डी०, 1.15 एकड़, 1.47 एकड़, 0.04 डी०, 0.41 डी०, 0.06 डी०, 1.43 एकड़, 1.59 एकड़, 0.78 डी० क्रमशः कुल रकवा–8.69 एकड़ भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी के द्वारा तत्कालिन उपायुक्त के माध्यम से उक्त भूमि निलाम पत्र के आधार पर प्राप्त होने का दावा करते है। जबकि विपक्षी को खतियानी रैयत वंशज होने के आधार पर प्रश्नगत भूमि प्राप्त होने का दावा करते है। विपक्षी अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। विषयगत वाद में अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी थनु महतो के नाम से पंजी–II के पृ०सं० 54/I पर कायम है। खतियानी रैयत के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है। बेदखली की अवधि 33–34 वर्षो की है।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय के आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन का अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अंचल अधिकारी, माण्डू के समर्पित प्रतिवेदन पर सही से जाँच किए बिना आदेश पारित किया गया है। अंचल अधिकारी, माण्डू के प्रतिवेदन के अनुसार बेदखली की अवधि 12 वर्षो से अधिक है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं की पुनः जाँच कर निर्णय लिए जाने हेतु आवेदन निम्न न्यायालय को Remand किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि उभयपक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करते हुए C.N.T Act की सुसंगत धाराओं के तहत विधि–सम्मत आदेश पारित करेंगे।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 03/12/24

उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 03/12/24

उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2025.01.08 17:37:11 +05:30
Location: 192.168.122.197

Scanned with OKEN Scanner